न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2021	2021/41	17.03.2021	11.12.2024

1. मानसिंह पुत्र भगवानसिंह आयु करीब 50 वर्ष
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह आयु करीब 45 वर्ष
3. रविन्द्र पुत्र भगवानसिंह आयु करीब 40 वर्ष जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर राज०।
4. ओमवती पुत्री भगवानसिंह पत्नी मोरध्वज आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम मानखेडा हाल निवासी रोनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज०।
5. दाखश्री पुत्री भगबानसिंह आयु 55 वर्ष पत्नी यादराम जाति जाट निवासी मानखेडा हाल नसवारा तहसील डीग जिला भरतपुर राज०।
6. सुनीता पुत्री भगवनसिंह अयु करीब 46 वर्ष पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी मानखेडा हाल निवासी ग्राम नसवारा तहसील डीग जिला भरतपुर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज०।
2. सत्यभान पुत्र भीमसिंह आयु करीब 46 वर्ष
3. हरीभान पुत्र भीमसिंह आयु करीब 55 वर्ष जाति जाट निवासीयान ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर राज०
4. प्रकाश पुत्र स्व० किरोडी।
5. उदय पुत्र स्व० किरोडी।
6. लोकेश पुत्र स्व० चंद्रभान पुत्र स्व0 किरोड़ी।
7. बलवंत पुत्र स्व० चंद्रभान पुत्र स्वर्गीय किरोड़ी जाति सभी जाट निवासी ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर राज०।

— रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 613 निर्णय दिनांक 18.11.2010 ग्राम मानखेडा तह0 कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री राज बहादुर जांगिड़ —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीना —राज0 वकील रेस्पो0 सं0 01
03—श्री तेजसिंह चौधरी —वकील रेस्पो0 02 लगा0 07

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 613 निर्णय दिनांक 18.11.2010 ग्राम मानखेडा तह0 कठूमर जिला अलवर तह0 कठूमर द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश तहत अदालत तहसीलदार कठूमर द्वारा पारित किया गया है, जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। तहत अदालत तहसीलदार कठूमर द्वारा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 613 वाके ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर दिनांक आदेश 18—11—2010 को मिन अपीलान्टान के पीछे से बाला बाला पारित किया गया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 15—02—2021 को हुई जबकि रेस्पाडेन्टान सं. 2 ला. 7 ने मिन अपीलान्टान के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की एवं मिन अपीलान्टान ने एतराज किया तो रेस्पाडेन्टान बताया कि उपरोक्त इंतकाल सहमति

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विभाजन आदेश के तहत स्वीकृत किया गया हैं। जिस पर मिन अपीलान्टान ने उसी दिन तहसील कार्यालय में सहमति विभाजन के प्रार्थना पत्र एवं मूल आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु मिन अपीलान्ट द्वारा चाही गई नकल तहसील कार्यलय में उपलब्ध नही होने के कारण मिन अपीलान्टान को कोई नकल नही दी गई। जिस प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 15–02–2021 को प्रदान की गई। तत्पश्चात मिन अपीलान्टान ने विवादित इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 05–03–2021 को आवेदन पत्र पेश किया जो उसी दिन सांयकाल प्राप्त हुई तत्पश्चात मिन अपीलान्टान द्वारा वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने विवादित इंतकाल के विरूद्ध अपील दायर करने की सलाह दी। इस प्रकार यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है। जिस स्थिति में आदेश दिनांक 18–11–2010 से दिनांक 15–02–2021 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाना न्यायसंगत है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकालाधीन आराजी मिन अपीलान्टान एवं रेस्पाडेन्टान सं.2 ला.7 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा उक्त आराजी के 1/3 भाग अपीलान्टान की तथा 1ध्3 भाग रेस्पाडेन्ट सं. 2 व 3 की तथा शेष 1/3 भाग रेस्पाडेन्ट सं. 4 ला. 7 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मिन अपीलान्टान के पिता भगवानसिंह द्वारा उक्त आराजी को तकसीम हेतु तहसीलदार साहब कठूमर के समक्ष कोई आवेदन नही दिया और ना ही किसी प्रकार की सहमति प्रकट की। उक्त विभाजन मिन अपीलान्टान के पीछे से बालाबाला करते हुए विवादित इंतकाल स्वीकृत किा गया है। उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही बहामी बटवारा हो रहा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन किया है वह खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड एवं खिलाफ कानन किया है। बहामी बटवारे के अनुसार मिन अपीलान्टान के हिस्से में जो खसरा आये थे वो रेस्पाडेन्टान की खातेदारी में दर्ज किये है इसी प्रकार रेस्पाडेन्टान के हिस्से के खसरा नम्बर मिन अपीलान्टान के खातेदारी में दर्ज किये है। रेस्पाडेन्टान को ज्यादा आराजी दी गई है एंव रेस्पाडेन्टा से साजबाज होकर सभी आराजीयात सडक के पास ली गई है जबकि रेस्पाडेन्टान के पिता को सडक से दूर आराजी दी गई तथा मिन अपीलान्टान को कोई रास्ता भी प्रदान नही किया गया है। आराजी खसरा नमब्र 238 का 0.20 हैक्टर तरफ दक्षिण खसरा नमबर 303 रकबा 0.81 हैक्टेयर, तरफ उत्तर पर नक्सा ट्रेस गलत तरमीम किया गयाा है परन्तु इंतकाल में जिस भी नम्बर के टुकडे हुए उनकी दिशा भी नही खोली गई है। ऐसा रेस्पाडेन्टान ने मिलीभगत करके किया है। जब कोई पार्टीशन का आदेश ही नही है तो इंतकाल तस्दीक बिना आदेश के कैसे हो गया। अदालत श्रीमान को काबिल गौर है। अपीलान्टान व रेस्पाडेन्टा को बराबर आराजीया का पार्टीशन नही किया है। रेस्पाडेन्टान को अधिक रकबा दिया गया जबकि अपीलान्टान को कम रकबा दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को कानून मिन अपीलान्टान की सहमति से ही कोई आदेश पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तकसीम आदेश पारित नही किया है यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता तो उसकी नकल मिन अपीलान्टान को अवश्य ही प्राप्त होती। लेकिन उक्त विवादित इंतकाल बिना किसी सक्षम आदेश के खिलाफ कानून पारित किये है। रेस्पाडेन्ट सं.1 को कानूनन उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट बुलाना चाहिए था और मिन अपीलान्आन को सुनकर निर्णय देना चाहिए था। एवं मौके की स्थिति देख कर व पूरी जांच करके निर्णय देना चाहिए था लेकिन रेस्पाडेन्टान से साजबाज होकर गलत निर्णय दिया है। जिससे हम अपीलान्टान को भारी नुकसान है। रेस्पाडेन्ट सं. 1 ने इन्तकाल स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्टान के पिता भगवानसिंह को कोई नोटिस नही दिया तथा कुल कार्यवाही बिना सुनें की है इसलिए भी अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्टान को कोई नोटिस नही दिया तथा अपीलान्टान के पिता भगवानसिंह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही थे। अदालत मातहत ने अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी का इन्तकाल रेस्पाडेन्टान के नाम गलत तोर पर स्वीकार किया है तथा अदालत मातहत के निर्णय से अपीलान्टान गम्भीर रूप से प्रभावित है। अपीलान्टान अदालत मातहत के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

समक्ष पक्षकार नही थे किन्तु अपीलान्टान एग्रीव्ड परसन है जिन्हे अपील दायर किया जाना आवश्यक हो गया है। जिस स्थिति में अपीलान्टान को अपील दायर करने की इजाजत प्रदान कर अपील पर सुनवाई किया जाना आवश्यक है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर की आज्ञा दिनांक 18–11–2010 इंतकाल संख्या 613 ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2010 के विरूद्व दिनांक 12.03.2021 को पेश की गयी है जो करीब 10 वर्ष 03 माह 24 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। विवादित आराजी अपीलाण्ट व रेस्पो0 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर (भू.अ.) द्वारा इंतकाल सं0 613 दि0 18.11.2010 मुताबिक पटवारी रिपोर्ट सहमति विभाजन पत्र के आधार पर दर्ज कर स्वीकार किया गया है। किन्तु अपी0 द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.02.2021 पेश की गयी है जिसमें प्रार्थी द्वारा सहमति विभाजन का प्रा0पत्र व मूल आदेश तह0 कठूमर दि0 18.11.2010 की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई नकल के संबंध में पटवारी ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई नकल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त कथित विभाजन प्रा0पत्र व तह0 कठूमर के इंतकाल सं0 613 दि0 18.11.2010 की प्रमाणित प्रतियां चाही गयीं, किन्तु तह0 कठूमर द्वारा केवल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति भिजवाई गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तह0 कठूमर द्वारा उक्त विवादित इंतकाल को दर्ज व स्वीकार करते समय आवश्यक बिन्दुओं यथा विभाजन पत्र इत्यादि की संपूर्ण जांच किये बिना आदेश पारित किया गया, जो कि एक विधिक त्रृटि है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 18.11.2010 इंतकाल संख्या 613 वाके ग्राम मानखेड़ा तह0 कठूमर को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार कठूमर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विधिवत प्रकरण दर्ज कर प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आवश्यक बिन्दुओं यथा विभाजन पत्र इत्यादि की संपूर्ण जांच कर नियमों के आलोक में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)